FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर

सुरजमल बनाम सूरा

किस्म मुकदमा दावा नं. 177/2016 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
12.01.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस हेतु अवसर चाहते है। बहस हेतु अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 25.01.2023 को पेश हों। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
25.01.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 16.02.2023 को पेश हों। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)
17.02.2023	दिनांक 16.02.2023 को इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती रिकार्ड का स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय ... द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। ... डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 17/02/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 10:20:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
177/2016	2016/0144	18.07.2016	17.02.2023 (अन्तिम डिकी)

उनवान प्रकरण

1. **सूरजमल पुत्र मालीराम मृतक के बजायः–**

1/1 श्रवणी देवी बेवा स्व0 सूरजमल उम्र 57 वर्ष

1/2. सतवीरसिंह पुत्र सूरजमल उम्र 36 वर्ष

1/3. नेकीराम पुत्र स्व0 सूरजमल उम्र 34 वर्ष

1/4. संजय सिंह पुत्र स्व0 सूरजमल उम्र 30 वर्ष

1/5 ममता चौधरी पुत्री स्व0 सूरजमल उम्र 26 वर्ष

1/6 अजीत सिंह पुत्र स्व0 सूरजमल उम्र 32 वर्ष

जाति समस्त जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—— वादीगण——

बनाम

1. **भूरा पुत्र बालू मृतक के बजायः–**

1/1. धन्नाराम पुत्र स्व0 भूरा उम्र 63 वर्ष

1/2. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 भूरा उम्र 52 वर्ष

1/3. सीताराम पुत्र स्व0 भूरा उम्र 59 वर्ष

1/4. शंकर पुत्र स्व0 भूरा उम्र 48 वर्ष

जाति समस्त जाट निवासी ग्राम क[illegible] जिला सीकर राज0।

1/5. बोदी देवी पुत्री स्व0 भूरा उ[illegible] जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा हाल ससुराल कुंडी की[illegible] उदयपुरवाटी जिला झूंझूनु राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 10:20:35 IST
Reason: SelfAttested

17/02/23

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

1/6. कमला पुत्री स्व0 भूरा उम्र 70 वर्ष पत्नि किशन कुडी जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा हाल ससुराल कुडी की ढाणी पचलंगी तहसील उदपयपुरवाटी जिला सीकर राज0

1/7. मन्नी देवी पुत्री स्व0 भूरा उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा पत्नि मालीराम दिवाच हाल ससुराल हीरानगर कस्बा नीमकाथाना जिला सीकर राज0

2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

---प्रतिवादीगण---

उपस्थित :-

श्री रघुनाथ सिंह शेखावत, एड0 वादीगण अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 2की ओर से

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत कियां कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1322 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 1339 रकबा 0.39 है0, खसरा नम्बर 1340 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 1341 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 1342 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 1343 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 1344 रकबा 0.42 है0, खसरा नम्बर 1347 रकबा 1.42 है0, खसरा नम्बर 1349 रकबा 0.46 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 4.48 है0 अवस्थित तन ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हैं। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में मानाराम [illegible] हिस्सा 3/8, गोठी बेवा [illegible] हिस्सा 1/8, जगदीश, चौथू हिस्सा 1/8, भूरा पुत्र बालू [illegible] अंकित चला आ रहा हैं। जिसमें नानू पुत्र मुरली हिस्सा 1/8 का [illegible] हिस्सा गलत अंकित चला आ रहा हैं। इसी प्रकार भूमि प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा गलत अंकित [illegible]

17/04/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 10:20:35 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 1338 रकबा 1.14 है0 खसरा नम्बर 1345 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 1350 रकबा 0.84 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.35 है0 अवस्थित तन् ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का राजस्व रिकार्ड वर्तमान में मानाराम, बद्रीप्रसाद पिता जवाहराराम हिस्सा 1/4, पोखर पुत्र चोथू हिस्सा 1/8, मोटी बेवा चौथू हिस्सा 1/8, भूरा पुत्र बालू हिस्सा 1/4, कालू पिता हणमान हिस्सा 1/8, नानछी बेवा मुरली, जगदीश, नाथूराम पिता मुरली हिस्सा 1/8 जाति जाट सा. देह अंकित हैं। जिसमें प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम हिस्सा 1/4 गलत अंकित चला आ रहा हैं। वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 का प्रस्तुत सजरा के अनुसार बींजा के चार पुत्र हुए जिनमें प्रतिवादी नम्बर 1 का पिता बालू कर्ता खानदान था। जो वादी के दादा नाथू का सगा भाई था तथा ग्राम कल्याणपुरा व कंचनपुर में बींजा की काफी कृषि भूमियां थी। जो बाद में उसके वारिसान चारों पुत्रों का नाम अंकित हुए किन्तु बालू जो प्रतिवादी नम्बर 1 का पिता हैं, कर्ताखानदान था। इस कारण उसके नाम अधिक भूमियां दर्ज हो गई व उसकी मृत्यु के बाद विरासत में उक्त भूमियां प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज हो गई तथा वादी के दादा व प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता के भाईयों ने उक्त भूमियों का बाह्मी बंटवारा अर्सा 40–50 वर्ष पूर्व ही कर लिया था। उक्त वर्णित भूमियों में दादा/पिता वादी के हक हिस्सा में आई थी किन्तु राजस्व रिकार्ड में अंकन पूर्व की भांति पहले पिता प्रतिवादी नम्बर 1 व उसकी मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी नम्बर 1 के ही चलता रहा जबकि प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज उक्त हिस्सा 1/4 को बाप दादा के समय हुए बाह्मी बतौर में पहले दादा वादी फिर पिता वादी व उसकी मृत्यु के उपरान्त वादी काश्त करता आ रहा हैं तथा तन्हा रूप से प्रतिवादी नम्बर 1 की जानकारी में काबिज काश्त चला आ रहा हैं तथा तत्समय पारिवारिक भावना एक होने से तथा बिना किसी लोभ लालच के उक्त पारिवारिक बदोंबस्त चलता रहा और कोई विवाद किसी किस्म का पक्षकारान व उनके पूर्वजों के मध्य नहीं रहा क्योंकि उक्त भूमियों के बद[illegible]दी व बाद में वादी उनके हक हिस्सा में आई अन्य कृषि भूमियां [illegible] काबिज काश्त है किन्तु राजस्व रिकार्ड में खातेदारी पूर्वानुसार चलती रही [illegible]दी के पिता मालीराम के जीवन में तथा मालीराम की मृत्यु के बाद उक्त वर्णित कृषि भूमियों में प्रतिवादी नम्बर 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 10:20:35 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

ने उक्त भूमियों में अपना नाम हिस्सा 1/4 अंकित होने के आधार पर कोई विवाद कभी नही किया, न ही खातेदारी अंकित होने को कोई दुरूपयोग किया, ना ही किसी प्रकार का विवाद किया अर्थात उक्त कृषि भूमियो में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम अंकित हिस्सा 1/4 को पहले पिता/दादा वादी एवं उनके बाद वादी तन्हा रूप से बिना किसी बाधा व रोक टोक के काश्त करता रहा हैं किन्तु वर्तमान में जमीनों की बढ़ती किमतों के कारण गांव–गांव, ढ़ाणी–ढ़ाणी में पनप रहे भूमाफियाओं के प्रभाव के कारण प्रतिवादी नम्बर 1 व उसके परिजन उनके बहकावे में आ गये व लोभ लालचवश उनके मन में बेईमानी आ गई तथा वर्तमान काश्त में वादी को काश्त करने से रोक दिया व एहलानियां धमकी दी कि उक्त वर्णित भूमियों में मुझ प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाऊंगा तथा उक्त गलत खातेदारी की आड में उक्त भूमिया दीगर–भूमाफिया को बिक्रय कर वादी को बेदखल करवायेगा तो वादी ने अपने परिवार व रिश्तेदारों को इकट्ठा कर प्रतिवादी नम्बर 1 को समझाया तो उस समय तो वह परिवारजनो व रिश्तेदारों की बात मान गया तथा खातेदारी जो उसके नाम चली आ रही है, को दुरूस्त करवाकर अपने नाम अंकित 1/4 हिस्सा का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाकर उक्त हिस्सा वादी के नाम अंकित करवाने की हां कर दी किन्तु वादी द्वारा खातेदारी दुरूस्त करवाने बाबत बार–बार निवेदन करने पर भी प्रतिवादी नम्बर 1 आजकल, आजकल कर टालता रहा। इस प्रकार वादी के द्वारा बार–बार कहने के बावजूद प्रतिवादी नम्बर 1 ने उक्त राजस्व रिकार्ड दुरूस्त नही करवाया तो वादी ने अन्य परिजनों के सहयोग से प्रतिवादी नम्बर 1 को अन्य भूमियां भी काश्त नही करने दी तब विवाद पुलिस थाने तक पहुंच गया। वहां वादी, प्रतिवादी नम्बर 1 व अन्य परिजन व रिश्तेदारो ने समझाईस कर यह लिखावट लिखी की वादी व उसके परिजन प्रतिवादी नम्बर 1 को उसके कब्जे काश्त में चली आ रही भूमि खसरा नम्बर 637 अवस्थित तन ग्राम कंचनपुर में काश्त करने से नही रोकेंगें व प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम अंकित भूमिया कस्बा सर्पासिद्ध बड़ी कोठी जिसकी खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम हिस्सा 1/4 अंकित हैं। जिस[illegible] वा[illegible] सुरजमल काश्त कर रहा है, उसमें प्रतिवादी नम्बर 1 कोई दखलन्दाजी नहीं [illegible] उक्त राजीनामा की लिखावट दिनांक 27.06.2016 संलग्न हैं। उक्त समझौते के त[illegible] दोनो पक्षो ने अपने–अपने हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 10:20:35 IST
Reason: SelfAttested

12/04/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, सवाईमाधोपुर

में एव बटवारे मे आयी भूमियों को काश्त तो कर लिया किन्तु राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने बाबत दिनांक 01.07.2016 को प्रतिवादी नम्बर 1 व उसके परिजनों ने स्पष्ट इन्कार कर दिया व धमकी दी कि इस फसल के बाद वह (प्रतिवादी नम्बर 1) अपने नाम दर्ज हिस्सा 1/4 की भूमिया जिसको बडी कोठी के नाम से जाना जाता है, को वह दीगर को विक्रय कर वादी को उसके कब्जा काश्त से बेदखल करवाकर रहेगा। उक्त वर्णित भूमियो जिनमें प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित हैं, पर वादी अपने दादा/पिता के समय से निर्विघ्न रूप से तन्हा काबिज काश्त चला आ रहा हैं। अर्थात पूर्व में दादा, उसके बाद पिता व उनकी मृत्यु के बाद वादी काबिज काश्त चला आ रहा हैं। जो प्रतिवादी की जानकारी में बिना किसी रोक टोक व बिना किसी बाधा के काबिज काश्त है। इस कारण वादी उपरोक्त भूमियों में प्रतिवादी नं. 1 के नाम अंकित चले आ रहे हिस्सा 1/4 की भूमियों के बाबत विपरित कब्जा के आधार पर भी उक्त हिस्सा की खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी हो चुका हैं। इस कारण भी दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादी का बाप दादा के समय से उक्त भूमियां प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 की भूमियां पर कब्जा काश्त प्रतिवादी नम्बर 1 व इससे पहले पिता प्रतिवादी नम्बर 1 की जानकारी में तन्हा रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा होने से वादी उक्त भूमियों बाबत् प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी कानूनी अधिकारी हैं। प्रतिवादी नम्बर 1 ने उक्त वर्णित कृषि भूमियों में राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/4 अपने नाम अंकित होने का नाजायज फायदा उठाने की गर्ज से उक्त भूमियों को नुमाईशी व अवैध विक्रय पत्र या अन्य हस्तान्तरण लेख द्वारा खुर्द-बुर्द कर दिया तो और वादी को उक्त भूमियों के कब्जे काश्त से बेदखल कर दिया या बेदखल करवाने की कुचेष्टा में सफल हो गया तो वादी व उसका परिवार बर्बाद हो जावेगा क्योंकि वादी व उसके परिवार की आजीविका का एक मात्र आधार उक्त कृषि भूमियां ही है। तो वादी को इस कदर क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार संभव नहीं होगी। इस कारण भी वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वकील ... ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1338 रकबा ... हैo, खसरा नम्बर 1339 रकबा 0.39 हैo, खसरा नम्बर 1340 रकबा 0.32 हैo, खसरा नम्बर 1341 रकबा 0.56 हैo, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 10:20:35 IST
Reason: SelfAttested

17/04/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्योपुर

नम्बर 1342 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 1343 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 1344 रकबा 0.42 है0, खसरा नम्बर 1347 रकबा 1.42 है0, खसरा नम्बर 1349 रकबा 0.46 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 4.48 है0 अवस्थित तन ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में प्रतिवादी नम्बर 1 भूरा पुत्र बालू के नाम अंकित हिस्सा 1/4 के स्थान पर उक्त हिस्सा 1/4 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खसरा नम्बरान में प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम उक्त 1/4 हिस्सा से हजफ किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1338 रकबा 1.14 है0, ख0 न0 1345 रकबा 0.37 है0, ख0 न0 1350 रकबा 0.84 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.35 है0 अवस्थित तन् ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में प्रतिवादी नम्बर 1 के दर्ज 1/4 हिस्सा से प्रतिवादी नम्बर 1 के स्थान पर वादी को उक्त 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी नम्बर 1 का उक्त 1/4 हिस्सा से नाम हजफ कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने तथा प्रतिवादी नम्बर 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने कि वह अपने नाम दर्ज उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की आड में व बाद दुरूस्ती वादी के कब्जा काश्त की उक्त वर्णित कृषि भूमिया में कोई मजाहमत न स्वयं करें, न दीगर से कराने बाबत प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है। दावा वादी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एंव स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से एंव प्रतिवादी संख्या 2 की सम्मन तामील असालतन होकर लोटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर ... वादी ... मल व वादी गवाह में भागीरथमल व झूंथाराम पुत्र लक्ष्मणराम की लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के फौत होने पर उनकी कायम मुकामी कार्यवाही की जाकर संशोधित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 10:20:35 IST
Reason: SelfAttested

17/04/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

शीघ्र पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/5 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1/6 से 1/7 की तामील अपूर्ण पते होने से अदम लौटी है। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/5 के बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा साक्ष्य वादी में वादी व गवाह के द्वारा लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादीगण ने वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में बहस सुनी जाकर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वकील वादीगण की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 कुल दो जमाबन्दीयॉं, राजस्व नक्शा ट्रेस, राजीनामा, वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त कृषि भूमियॉं खसरा नम्बर 1322, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1347, 1349 कुल किता 9 कुल रकबा 4.48 है0 अवस्थित तन ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में भानाराम, बद्रीप्रसाद पिता जवाहरराम हिस्सा 3/8, गोठी बेवा चौथू हिस्सा 1/8, भूरा पुत्र कालू हिस्सा 1/4, कालू पिता हणमान हिस्सा 1/8, जगदीश, नानू पुत्र मुरली हिस्सा 1/8 के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है तथा खसरा नम्बर 1338, 1345, 1350 कुल किता 3 कुल रकबा 2.35 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर की वर्तमान में खातेदारी भानाराम, बद्रीप्रसाद पिता जवाहरराम हिस्सा 1/4, पोखर पुत्र चौथू हिस्सा 1/8, गोठी बेवा चौथू हिस्सा 1/8, भूरा [illegible] कालू पिता हणमान हिस्सा 1/8, नानछी बेवा मुरली, जगदीश, नाथ[illegible] के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसमें वकील वा[illegible]ख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 का गलत अंकित चले आने बाबत कथन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध सजरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 10:20:35 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
17/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

खानदान अनुसार बींजा के चार पुत्र होना तथा प्रतिवादी संख्या 1 का पिता बालू के कर्त्ता खानदान होकर वादी के सगा दादा नाथू, बोदू व लक्ष्मण का सगा भाई होना प्रस्तुत सजरा खानदान से स्पष्ट होता है। बालू के कर्त्ता खानदान होने के कारण उसके नाम अधिक भूमियॉ दर्ज होना तथा उसकी मृत्यु के बाद विरासत में उक्त भूमियॉ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होना वादपत्र में अंकित किया है। वादी के नाम कौनसी अधिक भूमियॉ दर्ज हुई है। उन भूमियों का खसरा नम्बर क्या है तथा उक्त भूमियॉ कौनसे ग्राम में स्थित है, इस बाबत वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में किसी प्रकार का कोई स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है एंव ना ही कितनी अधिक भूमियॉ प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में उसके पिता से विरासतन प्राप्त हुई है के बारे में ही बताया गया है।

वर्तमान जमाबन्दी का रिकार्ड अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त दोनों आराजीयात भूमियों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्सा 1/4 – 1/4 दर्ज रिकार्ड होना प्रमाणित होता है। जो प्रतिवादी संख्या 1 के दादा बींजा के चार वारिस पुत्र होने तथा उसमें से एक बालू प्रतिवादी संख्या 1 का पिता होने से उसके हिस्से में विधिक हिस्सानुसार 1/4 हिस्से की कृषि भूमि आना रिकार्ड से प्रमाणित होता है। जिसको वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत रूप से अंकन होना वर्णित किया है। वकील वादी ने उक्त विवादित भूमियों पर वादी अपने दादा/पिता के समय से निर्विघ्न रूप से तन्हा काबिज काश्त चले आने तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त वादी के काबिज काश्त चले आने से 1/4 हिस्से की भूमियों के विपरित कब्जा के आधार के आधार पर उक्त हिस्सा की खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी होने बाबत कथन अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में किया है परन्तु कब्जे काश्त के सम्बन्ध में ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात् खसरा गिरदावरीयॉ पेश नहीं की गई है जिससे वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती हो। जहॉ तक विपरित कब्जा के आधार पर खातेदारी [illegible] की उद्घोषणा किये जाने का प्रश्न है। उसके सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल [illegible] द्वारा स्पष्ट रूप से बार–बार निर्देशित किया जाता रहा है कि किसी भी [illegible] को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर या विपरित कब्जा के आधार पर किसी भी प्रकार [illegible] खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा नहीं की जा सकती है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमियों में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 10:20:35 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रतिवादी नम्बर 1 के स्थान पर वादी को उक्त 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी नम्बर 1 का उक्त 1/4 हिस्सा से नाम हजफ कर उक्त भूमियों की खातेदारी अधिकारों की घोषणा वादीगण के हक में किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

17/02/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/02/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 10:20:35 IST
Reason: SelfAttested